संख्याः 6/2016/193/तीस-1-2016-5(11)/2014टी.सी.

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खाँ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 15 फरवरी, 2016

विषयः "लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा" के संचालन हेतु राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय के पत्र संख्या- 1198रोपी/15-130जनरल/2015, दिनांक 10-06-2015 एवं पत्र संख्या-65रोपी/शा0/2015रो0पी0/15-130जनरल/15 दिनांक 03.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 10-06-2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा संचालित करने हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में 529 बसें क्रय किये जाने के लिए (वास्तविक लागत के अनुसार) चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपोजिट आदि खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(2) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना में स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 तथा क्रय संबंधी

http://shasanadesh.up.nic.in

मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अनतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-9-55/दस-16 दिनांक 09.02.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

ह0

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

संख्याः 6/2016/193/तीस-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/परिवहन अनुभाग-3.
8. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9.
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
10. गाई फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(सन्त लाल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in